अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–193/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

..की ..थि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
..20	(See order text below)	

इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जाँच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा चन्द्रपुरा थाना संख्या–254 अनाबादी खाता संख्या–16 दाग संख्या–97 रकबा–05 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर किस्म–**जंगल साल** कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि मौजा–चन्द्रपुरा के राजस्व पंजी–।। भोल्यूम संख्या–01 पृष्ठ संख्या–39 में **हिसकुरेश मिशन चर्च, चन्द्रपुरा** के नाम से बिना आधार साक्ष्य जमाबंदी कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा स्पष्ट अनुशंसित मंतव्य अंकित किया गया है कि कायम जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने/कब्जा करने के प्रयास के तहत् फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 703/रा0 दिनांक 09.08.2016 से निर्गत नोटिस जो अभिलेखबद्व है के प्रत्युत्तर में फादर जोसेफ द्वारा अपने दावे के समर्थन में वर्ष 1987 में निष्पादित निबंधित केवाला के साथ साथ भिन्न भिन्न वर्षो में निर्गत सरकारी भू–लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनाबादी खाता की भूमि जिसकी खतियानी प्रविष्टि जंगल साल कहकर दर्ज है को किस अधिकार एंव हक से बिकेताओं के द्वारा संयुक्त रूप से हिसकुरेश मिशन चर्च, चन्द्रपुरा के पक्ष में निबंधित दस्तावेज के माध्यम से स्वत्वाधिकार का अन्तरण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी भूमि को हड़पने की मंशा से विधिक दस्तावेज निर्माणार्थ बिकय का यह प्रयास है जो नियमानुकूल नहीं है। चूंकि यह विधिमान्य है कि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है एंव मात्र जमींदारी लगान रसीद अथवा सरकारी भू–लगान रसीद के आधार पर किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस आधार साक्ष्य दस्तावेज के नहीं माना जा सकता है। **राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–1704 दिनांक–15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित बिकयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एंव भौतिक सत्यापन के पश्चात् आदेश पारित करना है।**

सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अनाबादी खाता की प्रश्नगत भूमि जिसकी खतियानी प्रविष्टि जंगल साल कहकर दर्ज है को हड़पने की मंशा से एंव बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने की मंशा से निबंधित केवाला का संधारण कर विधि विरूद्ध दखल भोग किया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निबंधित दस्तावेज को विधिसम्मत रूप से निरस्त करने की कार्रवाई के साथ साथ विपक्षी के पक्ष में विधि विरूद्ध कायम जमाबंदी का सरकार एंव लोकहित में विलोपन आवश्यक है। **अतः मौजा चन्द्रपुरा थाना संख्या–254 अनाबादी खाता संख्या–16 दाग संख्या–97 रकबा–05 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर किस्म–जंगल साल का हिसकुरेश मिशन चर्च, चन्द्रपुरा के नाम मौजा–चन्द्रपुरा के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–1 पृष्ठ संख्या–39 में विधि विरूद्ध निराधार कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है।** अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें।

लेखापित एंव संशेधित

(हस्ताक्षर) 18/08/2020
अंचल अधिकारी
महेशपुर

(हस्ताक्षर) 18/08/2020
अंचल अधिकारी
महेशपुर

Scanned with CamScanner

(36)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख
	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महेशपुर का पत्रांक–661/रा0, दिनांक–19.08.2020 के द्वारा अबैध जमाबंदी रद्द करने संबंधी अभिलेख सं0–193/2016–17 प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, महेशपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश फलक एवं चेक लिस्ट में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। मौजा– चन्द्रपुरा, थाना सं0–254, खाता सं0–16, दाग सं0–97 रकवा– 05बी0–00क0–00धूर जमीन **किस्म जंगल साल** कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। राजस्व पंजी ।। भोल्यूम सं0–39-I में **हिसकुरेश मिशन चर्च**, सा0– चन्द्रपुरा के नाम से बिना आधार साक्ष्य जमाबंदी कायम है। चेक लिस्ट के कंडिका–13/14 में संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, महेशपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अनावादी खातान्तर्गत गैर–मजरूआ आम/खास/ भूमि संदेहास्पद कायम जमाबंदी भूमि है। **हिसकुरेश मिशन चर्च** सा0– चन्द्रपुरा के द्वारा अनावादी सरकारी भूमि को बिना आधार दस्तावेज फर्जी तरिके से एवं बिहार भूमि सुधार के उद्वेश्य से राजस्व पंजी–।। में जमाबंदी कायम की गई है। जो निराधार एवं संदेहास्पद है फलस्वरूप मौजा– चन्द्रपुरा, थाना सं0–254, खाता सं0–16, दाग सं0–97 रकवा– 05बी0–00क0–00धूर जमीन **किस्म जंगल साल** पर विपक्षी **हिसकुरेश मिशन चर्च**, सा0– चन्द्रपुरा के नाम से सृजित जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, महेशपुर की अनुशंसा के आलोक में अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी के तहत वर्णित भूमि में कायम की गयी जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल रूप में अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेंजे। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 26/8/2020 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़। (हस्ताक्षर) 26/8/2020 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़।	

84@ORDER

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2022.11.19 11:00:33 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:307b:d8c:3f57:ff93

Scanned with CamScanner